भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3325

12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

सतत एवं आपदा रोधी आवास पहल

†3325. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संधारणीय और आपदा-सहनीय आवास पहलों के अंतर्गत हल्की संरचनात्मक सामग्रियों का उपयोग करते हुए मॉड्यूलर और कंपोजिट निर्माण प्रणालियों को अपनाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी आवास कार्यक्रमों के भीतर व्यापक रूप से तैनात करने की सिफारिश करने से पहले दीर्घकालिक स्थायित्व, पर्यावरणीय लाभों, भूकंपीय और बाढ़ प्रतिरोध, थर्मल कार्यनिष्पादन और लागत दक्षता के संबंध में सरकार के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी निगरानी के अंतर्गत निवासियों की सुरक्षा, संरचनात्मक स्थिरता और बड़े पैमाने पर विस्तार-क्षमता (स्केलेबिलिटी) सुनिश्चित करने वाले निगरानी ढांचे के सहयोग से, ऐसी निर्माण पद्धतियों का उपयोग करते हुए आपदा-प्रवण या पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदर्शन (डिमनस्ट्रेशन) परियोजनाएं कार्यान्वित करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने और एसएएनए-स्पर्श मॉड्यूल

के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा भी दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को तेजी से और गुणवत्तायुक्त आवास के लिए आधुनिक, अभिनव, हरित और वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता प्रदान करता है। टीएसएम के अंतर्गत, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया) का आयोजन विश्व स्तर पर सिद्ध, टिकाऊ, आपदा-प्रतिरोधी और पूर्वनिर्मित निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया था। दुनिया भर से कुल 54 सिद्ध प्रौद्योगिकियों को चयनित किया गया था और उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए भू-जलवायु क्षेत्रों के आधार पर छह श्रेणियों में बांटा गया था, जो **www.ghtc-india.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इन प्रौद्योगिकियों को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और ये प्रौद्योगिकियाँ समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इसके अलावा, आवासों के तेज और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल डिजाइन, जलवायु अनुकूल, आधुनिक, अभिनव और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टीएसएम के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

I. जीएचटीसी-इंडिया के अंतर्गत चयनित की गई छह अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) का निर्माण देश में छह स्थानों पर किया गया है। ये परियोजनाएं टिकाऊ और आपदा-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर शहरी आवास की कमी को दूर करने के भारत सरकार के प्रयास में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाती हैं।
II. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नवीन और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा-कुशल सामग्री दर्शाने और पेशेवरों के बीच तकनीकी जागरूकता का प्रसार करने के लिए नई

प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए **13** प्रदर्शन आवास परियोजनाएं **(**डीएचपी**)** देश के विभिन्न हिस्सों में बनाई गई हैं।

III. निर्माण के लिए नई और उभरती निर्माण सामग्री**,** प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के बारे में निर्माण पेशेवरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए नवरीतिः **(**नया**,** किफायती**,** सत्यापित**,** भारतीय आवास के लिए अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकियां**)** नामक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

IV. वर्ष 2021 में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला **(**आईएचटीएम**)** का आयोजन निम्न और मध्यम ऊंचाई वाले आवासों के लिए घरेलू स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकियों**,** निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। आईएचटीएम के तहत 84 नवीन प्रौद्योगिकियों**/**उत्पादों**/**सामग्रियों को चुना गया था। इसके अलावा**,** भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 के अंतर्गत**,** 85 से अधिक नवीन निर्माण प्रणालियों और सामग्रियों को प्रदर्शित करने के लिए अभिनव निर्माण पद्धतियों पर एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।

V. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जीआईजेड और भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद **(**बीएमटीपीसी**)** के सहयोग से अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों और किफायती आवास के लिए थर्मल कम्फर्ट पर प्रशिक्षणों**/**कार्यशालाओं की श्रृंखला की मेजबानी की है**,** जिसका नाम आरएसीएचएनए **(**राष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से लचीला**,** किफायती और आरामदायक आवास**)** है। देश भर में 150 से अधिक आरएसीएचएनए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे भारत में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं**,** जिनमें 11,000 से अधिक हितधारकों को शामिल किया गया है।

VI. देश की विभिन्न भू**-**जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान**,** मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना **(**पीएसीएस**)** संचालित की जा रही है**,** जो सुरक्षित**,** टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हैं और बीएमटीपीसी द्वारा गुणवत्ता वाले आवासों की तेजी से प्रदायगी सुनिश्चित करती हैं। पीएसीएस के तहत अब तक 88 अभिनव उत्पादों और प्रणालियों को प्रमाणित किया जा चुका है।

VII. क्षमता निर्माण और नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सहायता के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से ऑफसाइट कार्यशालाओं/वेबिनार, वेबकास्टिंग, तकनीकी जानकारी/मॉड्यूल पर सलाह की एक श्रृंखला आयोजित की गई।

VIII. नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों और तेज, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा-कुशल, किफायती, पर्यावरण के अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी, टिकाऊ निर्माण प्रणाली से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकाशन जारी किए गए हैं।

टीएसएम की प्रगति के आधार पर पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) नवीन डिजाइन और निर्माण पद्धतियों में सहायता करता है, गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देता है और देश में टिकाऊ आवास के लिए हरित भवन मानकों को अपनाता है। टीआईएसएम विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है। इसके लिए, विभिन्न नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय किया जाता है ताकि पारंपरिक निर्माण सामग्री एवं पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्री के उपयोग को मुख्यधारा में लाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं संसाधन कुशल, जलवायु उत्तरदायी, आपदा प्रतिरोधी, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देती हैं।

इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली एएचपी परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के रूप में एक अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा पहचानी गई इन नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों को उनके स्थानीय संदर्भ के अनुसार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू **2.0** दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चयनित तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) के माध्यम से मिशन के बीएलसी/एएचपी/एआरएच घटकों के तहत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। टीपीक्यूएम एजेंसियों को परियोजना स्थल का दौरा करना होता है और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों को सलाह देनी होती है।

*****